भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1352

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

बागान श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

1352. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के बागान श्रमिकों के लिए प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सभी बागान श्रमिकों को ई.एस.आई.लाभ प्राप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में बागानों में काम की दशाओं का विनियमन है तथा बागान श्रमिकों के कल्याण का प्रावधान है। इस अधिनियम में नियोजकों से अपेक्षा है कि वे कामगारों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी एवं प्रसूति लाभ तथा अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराएं। चाय एस्टेटों में कार्य-स्थलों के भीतर और आस-पास चाय बागान कामगारों और उनके परिवारों के लाभार्थ कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा, पेय जल, सफाई-व्यवस्था, कैंटीन, शिशु-सदन और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था है। बागान श्रमिक अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए उनके द्वारा अलग-से नियम बनाए गए हैं।

इन सुविधाओं के अतिरिक्त, बागान उपयोगी-वस्तु बोर्ड, अपनी संबंधित स्कीमों के अंतर्गत मध्यावधि रूपरेखा अवधि के दौरान बागान कामगारों तक श्रम कल्याण उपायों का विस्तार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बागान संपदाओं में कार्यरत अ.जा./अ.जजा. वर्ग के कामगारों के बच्चों को दसवीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने के समर्थ बनाने हेतु वित्तीय

जारी–2/-

सहायता प्रदान करना है। यह सहायता हाई स्कूल/डिग्री-पूर्व पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले तथा किसी विधा में स्नातक/परा-स्नातक की पढ़ाई करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।

इसके अलावा, चाय उद्योग के कामगार विभिन्न औद्योगिक और सामाजिक सुरक्षा विधानों द्वारा व्याप्त हैं जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, (असम चाय बागान भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि स्कीम अधिनियम 1955 - केवल असम के लिए), बोनस संदाय अधिनियम, 1965, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, वेतन संदाय अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा औद्योगिक नियोजन(स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ।

इसके अतिरिक्त, सरकार चाय संपदाओं में बागान कामगारों और उनके आश्रितजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां कार्यान्वित करती है। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) स्कीम के अंतर्गत चाय बोर्ड द्वारा चलाई गई कल्याणकारी गतिविधियों का लक्ष्य कामगारों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार लाना, कामगारों की संतानों की शिक्षा तथा कृषकों/कामगारों के कौशलों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण देना है।

(ख): बागान कामगार क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त नहीं हैं। वर्तमान में, बागान कामगारों की क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, छोटे चाय कृषकों के कामगारों के लाभार्थ चाय बोर्ड द्वारा सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। अन्य राज्यों में संगठित क्षेत्र के चाय कामगार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत व्याप्त हैं।

*****